

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम : परिवार नियोजन (महिला/पुरुष सरकारी अस्पतालों में बंध्याकरण/नसबंदी के लिए क्षतिपूर्ति राशि) "Compensation for Female Sterilization & Compensation for Male Sterilization"

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष- A.3

बजट क्रम संख्या : एफ०एम०आर० कोड संख्या - A.3.1.4 & A.3.1.5

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

इसके तहत परिवार नियोजन की सुविधा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को बंध्याकरण हेतु रू० 600/- एवं नसबंदी हेतु रू० 1100/- राशि देय है।

इकाई राशि - निम्नवत्

सरकारी अस्पतालों के लिए :

कार्यक्रम	कुल राशि	ऑपरेशन कराने वाले लाभार्थी	सर्जन	एनेस्थेटिस्ट	स्टाफ नर्स	ओ० टी०	दवाईयाँ / ड्रेसिंग	अल्पाहार आदि	कैम्प प्रबंधन	प्रेरक
बंध्याकरण	1000	600	75	25	15	15	100	10	10	150
नसबंदी	1500	1100	100	..	15	15	50	10	10	200

वित्तीय दिशा निर्देशन : पत्र संख्या सं० एस०एच०एस०बी०/पी०एम०/42/2005/4438 दिनांक : 26.09.2007 एवं एस०एच०एस०बी०/एम०सी०एच०/275/26152 दिनांक 13.05.2011 के माध्यम से इस गतिविधि के लिए दिशा निदेश भेजी गई है वर्तमान में भी इसी दिशा निर्देश का अपुपालन किया जाएगा।

Note: Quality of all camps to be maintained as per satisfaction of the District Level Quality Assurance Committee. (Red & Blue books may be referred)

Check List : Red Book का Annx. 1.

इस संदर्भ में यदि पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र संख्या तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) संचिका सं० एस०एच०एस०बी०/पी०एम०/42/2005/4438 दिनांक : 26.09.2007

(ख) संचिका सं० एस०एच०एस०बी०/एम०सी०एच०/275/26152 दिनांक 13.05.2011

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का नाम - डॉ० ए. के., शाही, /सुबोध जायसवाल
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का फोन नं० : 9470003017, 9431005971